



UPFD010001582004

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं० 191/2004

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

1- अरविन्द सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह जादौन,
 2- चिंटू पुत्र कृपाल सिंह,
 समस्त निवासीगण- सखावतपुर, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद।
अभियुक्तगण।

धारा- 354, 323/34, 506 भा०द०सं०
 व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- नारखी, जिला- फिरोजाबाद।
 अपराध संख्या- 212/1999

निर्णय

- उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 212/1999 में अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिंटू के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 354, 323, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी निर्मला देवी (Informant) द्वारा थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

"निवेदन यह है कि आज दिनांक 08-08-1999 को मैं खेत में जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे अरविन्द पुत्र डिबू, चिन्टू पुत्र कृपाल सिंह मिले, जिन्होंने मुझे गलत काम के लिए मेरा हाथ पकड़कर चरी के खेत में खींचने लगे तो मैं हाथ छुड़ाकर भागी और अपनी माँ को बताया तो माँ जब कहने गई तो माँ के साथ भी मारपीट की है। जान से मारने की धमकी दी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये।"

3. वादी की तहरीर के आधार पर थाना नारखी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 212/1999 अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिन्टू अंतर्गत धारा 354, 323, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये घटनास्थल निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र उपरोक्त प्रेषित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 207 द०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

4. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिन्टू को आरोप के बिंदु पर सुना गया तथा दिनांक 15-09-2004 को धारा 354, 323/34, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 354 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया,
- (ii) यह कि ऐसे हमले या आपराधिक बल का प्रयोग अभियुक्त द्वारा किया गया,
- (iii) यह कि ऐसा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसकी लज्जा भंग करे, किया गया।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

| क्रम सं० | नाम साक्षी | |
|----------|---------------------------|------------------------|
| 1 | PW-1 श्रीमती निर्मला | वादिनी (Informant) |
| 2 | PW-2 श्रीमती रामवती | साक्षी |
| 3 | PW- 3 डा० दिलीप कुमार | चिकित्सीय परीक्षणकर्ता |
| 4 | PW- 4 आदित्य प्रकाश वर्मा | विवेचक |

6. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

| क्रम सं० | अभियोजन प्रपत्र | प्रदर्श |
|----------|---------------------------|--------------|
| 1 | तहरीर वादिनी | प्रदर्श क- 1 |
| 2 | चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट | प्रदर्श क- 2 |
| 3 | नक्शा नजीर | प्रदर्श क- 3 |
| 4 | आरोप पत्र | प्रदर्श क- 4 |
| 5 | चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट | प्रदर्श क- 5 |
| 6 | जी०डी० | प्रदर्श क- 6 |

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने साक्षियों द्वारा बयान रंजिशन एवं गाँव की पार्टीबंदी के कारण देना बताया तथा स्वयं को निर्दोष बताया है।

8. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 1 श्रीमती निर्मला वादिनी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 08-08-1999 को मैं खेत पर जानरों के लिये चारा लेने गयी थी। वहाँ पर मुझे अरविन्द, पिन्टू उर्फ चिन्टू मिले थे। वह मुझे हाथ पकड़कर चरी के खेत में खींच कर ले गये, तो मैं अपना हाथ छुड़ाकर भाग आयी थी। यह बात मैंने अपनी माँ को बतायी थी। माँ के साथ भी उपरोक्त मुल्जिमानों ने मारपीट की थी। जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की रिपोर्ट मैंने थाना पर दी थी। रिपोर्ट मैंने लिखी थी तथा हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/2 तहरीर पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। इस तहरीर पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 श्रीमती रामवती को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 08-08-99 को मैं शौच के लिये जा रही थी। तभी रास्ते में मैं खरंजे पर गिर गयी थी, जिससे मेरे चोटें आयी थी। मेरी बेटी निर्मला देवी ने मुझे यह नहीं बताया था कि अरविन्द, चिन्टू उर्फ पिन्टू ने उसके साथ छेड़खानी की हो। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी और ना ही मुझे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 डा० दिलीप कुमार को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 09-08-1999 को बतौर चिकित्साधिकारी जिला अस्पताल फिरोजाबाद में तैनात था। उस दिन मैंने मजरूब रामवती पत्नी सियाराम का चिकित्सीय परीक्षण किया था। समय 02.00 बजे दिन किया था। चुटैल को का० सी०पी० 389 मोहर पाल सिंह थाना नारखी लेकर आये थे। चुटैल का पहचान चिन्ह अंगूठा निशानी लेकर चिकित्सीय परीक्षण किया था। चुटैल के निम्नलिखित चोटें थी-

चोट नं० 1- खरोंच (छिला) हुआ घाव 03cmX2.5cm चेहरे पर बाँयी तरफ था जो ठीक जबड़े के ऊपर था। चोट पर साफ्ट स्केब मौजूद थी।

चोट नं० 2- नीलगू निशान 08cmX04cm बाँयी जाँघ के बाहरी बीच वाले पार्ट पर था। नाला-लाल कलर का था।

मेरी राय में दोनों चोटें साधारण थी। यह चोटें कुन्द आला एवं घर्षण से आना संभव थी। चोटें लगभग एक दिन पुरानी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6 अ/1 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे द्वारा तैयार की गयी है। इस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 आदित्य प्रकाश वर्मा विवेचक को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 11-08-1999 को पुलिस उपाधीक्षक टूण्डला के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 212/1999, धारा

323,354,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)11 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम अरविन्द आदि दो नफर थाना नारखी की विवेचना ग्रहण की थी। जिसमें पूर्व विवेचक अमर सिंह द्वारा पर्चा 1 किता किया गया। विवेचना मैंने दिनांक 11-08-1999 को ग्रहण की थी। पर्चा नं० 2 में वादिया निर्मला देवी व उसकी माँ रामवती से पुनः पूँछताछ की गयी थी। उनको साथ में ले जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया। पर्चा नं० 3 दिनांक 16-08-99 को किता किया जिसमें श्रीमती रामवती की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा मुल्जिमानों को दबिश दी गयी, दस्तयाब नहीं हुए। पर्चा नं० 4 दिनांक 19-08-1999 को किता किया था जिसमें अभियुक्तगण अरविन्द सिंह व चिन्दू उर्फ पिन्दू के बयान अंकित किये गये। उसके पश्चात साक्ष्यों का अवलोकन कर जिरये आरोप पत्र सं० 97/1999 अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र कागज सं० 5 अ/3 है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। आरोप पत्र पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। H.M. भरत सिंह मेरे कार्यालय पर आता जाता रहा हूँ। इसके लेख व हस्ताक्षर को मैं भलिभाँति पहचानता हूँ। इसके द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पर किता की गयी थी जो पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/1 है, जिस पर मैं H.M. भरत सिंह के हस्ताक्षर व लेख की शिनाख्त करता हूँ, इस चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-5 अंकित किया गया। H.M. भरत सिंह द्वारा जी०डी० का खुलासा रोजनामचाआम में किया है, जी०डी० पत्रावली पर कागज सं० 7 ब/2 है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जी०डी० पर प्रदर्श क-7 अंकित किया गया।"

9. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 08-08-99 को स्थान खेत ग्राम शेखावतपुर थाना क्षेत्र नारखी

फिरोजाबाद में अभियुक्तगण अरविन्द और चिन्टू ने वादिनी का शील भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर चरी के खेत में खींचा लिया जिससे उसकी लज्जा भंग हुई ? क्या उक्त तिथि व समय को अभियुक्तगण ने वादिनी की माँ रामवती को सामान्य आशय के अग्रसारण में स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी वादिनी और उसकी माँ को दिया ? क्या उपरोक्त अपराध यह जानते हुए कि वादिनी और उसकी माँ अनुसूचित जाति की सदस्य हैं कारित किया गया ?

11. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 212/1999 वादिनी (Informant) द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क-1 दिनांकित 09-08-1999 के आधार पर पंजीकृत किया गया। इस सम्बन्ध में वादिनी पी०डब्लू० 1 ने शपथपूर्वक बयान में यह कहा कि "घटना दिनांक 08-08-99 की है। मैं खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने गयी थी। अग्रेतर कहा कि घटना की रिपोर्ट मैंने थाने पर की थी। रिपोर्ट मैंने लिखी थी तथा हस्ताक्षर किए थे। साक्षी पी०डब्लू० 1 श्रीमती निर्मला ने पत्रावली पर उपलब्ध मूल प्रार्थना पत्र कागज सं० 3 अ/2 लिखित तहरीर को अपने लेख व हस्ताक्षर में लिखने की पुष्टि की, जो पत्रावली पर प्रदर्श क-1 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09-08-99 को प्रातः 10.30 बजे अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत की गयी। इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास के उपरान्त भी साक्षी का० 104 भरत सिंहको प्रस्तुत नहीं किया जा सका और उनकी तलाश की गयी। उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि विवेचक आदित्य प्रकाश वर्मा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने पी०डब्लू० 4 के रूप में न्यायालय के समक्ष किया है। उनके साक्ष्य में आया है कि वह दिनांक 11-08-99 को पुलिस उपाधीक्षक टूण्डला के पद पर तैनात थे। उसी दिन मु०अ०सं० 212/99, धारा 323, 354, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम अरविन्द आदि की विवेचना किया। पर्चा नं० 1 पूर्व विवेचक द्वारा किता गया था। उनके द्वारा दिनांक 11-08-99 को विवेचना ग्रहण की गयी। हेड मौहर्रिंर भारत सिंह के सम्बन्ध में कहा कि वह मेरे साथ कार्यालय पर आते -जाते रहे हैं। उसके लेख व हस्ताक्षर को मैं भलिभाँति पहचानता हूँ। भरत सिंह के द्वारा चिक एफ०आई०आर० किता की गयी थी जो पत्रावली पर कागज

सं० 3 अ/1 है। आगे चिक एफ०आई०आर० पर HM भरत सिंह के लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि साक्षी ने किया, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रविष्टि रोजनामचाआम जी०डी० कागज सं० 7 अ/2 की भी पुष्टि की। उक्त जी०डी० पर प्रदर्श क-6 अंकित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में किसी प्रकार का कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया है। घटना के अगले दिन पीड़िता द्वारा थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। स्वाभाविक है कि घटना के दिन किन्हीं कारणों से वह थाने पर ना जा सकी हो, किन्तु अगले दिन प्रातः बिना किसी विलम्ब के उसने थाने पर स्वयं के हस्तलेख में प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़िता/वादिनी निर्मला के साक्ष्य में आया है कि वह हाईस्कूल तक पढी लिखी है। तहरीर के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त तहरीर पीड़िता के हस्तलेख में है और जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ था उसी प्रकार का प्रार्थना पत्र थाने पर दिया। किसी प्रकार का परामर्श लिया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। शतप्रतिशत घटना का विवरण वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाने पर दिया जो अभियोजन कथानक की विश्वनीयता को और पुष्ट करता है। श्रीमती निर्मला पी०डब्लू० 1 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि 08-08-99 की घटना है मैं खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने गयी थी। वहाँ पर अरविन्द, चिन्टू उर्फ पिन्टू मिले। वह मेरा हाथ पकड़कर चरी के खेत में ले गये। मैं अपना हाथ छुड़ाकर भाग आई। अग्रेतर कहा कि यह बात मैंने अपनी माँ से बतायी थी। माँ के साथ उपरोक्त मुल्जिमान ने मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि "मैं चारा लेने सुबह शायद गयी थी। बहुत दिन हो गये अभ याद नहीं है। मैं चारा लेने करीब आधा किलोमीटर दूर गयी थी। पड़ोस के खेत में चारा लेने गयी थी। चिन्टू उर्फ पिन्टू का घर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। जहाँ मैं चारा ले रही थी वहाँ और कोई भी किशान काम नहीं कर रहे थे।" अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि "चिन्टू उर्फ पिन्टू, अरविन्द ने मुझे हाथ पकड़ कर नहीं खींचा था। मैंने हाथ पकड़कर खींचने वाली बात अपनी माँ को नहीं बतायी थी। मुल्जिमान ने मेरे साथ कोई भी मारपीट नहीं की थी। मेरे साथ कोई भई मारपीट नहीं

की थी। मेरे सामने मेरी माँ श्रीमती रामवती देवी के साथ मुल्जिमानों ने कोई भई मारपीट नहीं की थी न जान से मारने की धमकी दी थी, न कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था।" अग्रेतर कहा कि मेरा पुलिस ने कोई भी बयान नहीं लिया था। गाँव वालों के कहने पर यह मैंने रिपोर्ट थाना पर मुल्जिमान के खिलाफ कर दी थी। मुल्जिमानों अरविन्द, चिन्टू उर्फ पिन्टू ने मेरे साथ व मेरी माँ के साथ कोई भी घटना कारित नहीं की थी। चूंकि वादिनी (Informant) ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक का शतप्रतिशत समर्थन किया और प्रति-परीक्षा में ठीक विपरीत कथन किये और घटनाक्रम से इंकार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा सत्यतता की परख करने के उद्देश्य से वादिनी (Informant) पी०डब्लू० 1 से प्रति-परीक्षा की गयी। न्यायालय द्वारा की गयी प्रति-परीक्षा में पीड़िता ने कहा कि "मैं पढी-लिखी हूँ। हाईस्कूल पास हूँ। मैं अरविन्द सिंह, चिन्टू उर्फ पिन्टू को जानती हूँ। 1999 में मैंने यह मुकदमा लिखाया था। बहुत दिन हो गये। हाईस्कूल मैंने पास किया था। मेरे घर में मेरी माँ तीन भाई हैं। भाईयों से बड़ी हूँ। बहनों से छोटी हूँ। मैं तीसरे नम्बर पर हूँ।" अग्रेतर कहा कि "मैंने छेड़खानी, मारपीट, गाली-गलौज का मुकदमा लिखाया। मैंने अरविन्द, चिन्टू के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। मैंने थाना नारखी पर मुकदमा लिखाया था। मैं और मेरी मम्मी थाना पर गयी थी। मैंने प्रदर्श क-1 अपने हाथ से लिखकर दिया था।----- मेरा मुकदमा उसी दिन लिखा गया था, जिस दिन मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। दरोगा जी ने जाँच की थी। मैंने व मेरे घरवालों ने राजीनामा कर लिया है। मुझे राजीनामा करने में कोई दबाव नहीं है।" वादिनी (Informant) निर्मला देवी के सम्पूर्ण शपथपूर्वक बयान से स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के उपरान्त पीड़िता द्वारा अगले दिन स्वयं के हस्तलेख में लिखित प्रार्थना पत्र थाने पर दिया। पीड़िता हाईस्कूल तक पढी-लिखी है और भला-बुरा समझने में सक्षम है। न्यायालय द्वारा की गयी प्रति-परीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने मारपीट, गाली-गलौज और छेड़खानी का मुकदमा अभियुक्तगण अरविन्द व चिन्टू उर्फ पिन्टू के खिलाफ लिखाया था। मुकदमा उसी दिन लिखा गया था, जिसे मैंने लिखकर दिया था। दरोगा जी ने प्रस्तुत

मामले में जाँच की थी। अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रति-परीक्षा में कह दिया कि विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। पीड़िता का उक्त आशय का बयान कदापि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, कि पीड़िता का बयान न लिया गया हो। पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक द्वारा जाति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया, जिसमें पीड़िता ने स्वयं को नट जाति का तथा अभियुक्तगण को ठाकुर जाति का होना बताया है। घटना के समर्थन में अभियोजन द्वारा वादिनी (Informant) की माँ रामवती को पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित किया गया। रामवती पी०डब्लू० 2 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "दिनांक 08-08-99 को मैं शौच के लिये जा रही थी। तभी रास्ते में मैं खरंजे पर गिर गयी थी, जिससे मेरे चोटें आयी थी। मेरी बेटी निर्मला देवी ने मुझे यह नहीं बताया था कि अरविन्द, चिन्टू उर्फ पिन्टू ने उसके साथ छेड़खानी की हो। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी और ना ही मुझे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया था।" अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को प्रति-परीक्षा की अनुमति दी गयी। प्रति-परीक्षा में पी०डब्लू० 2 रामवती ने कहा कि खरंजे पर गिरने से मेरे चोटें आ गयी थी। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया था। मेरा किसी पुलिस अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका धारा 161 द०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था। पी०डब्लू० 2 ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक 08-08-99 को उसकी बेटी चारा लेने गयी थी और अभियुक्तगण अरविन्द एवं चिन्टू उर्फ पिन्टू ने हाथ पकड़कर चरी के खेत में खींचा हो। गलत काम करने के लिए खेत में खींचा हो। पी०डब्लू० 2 ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट और गाली-गलौज किये जाने के बात से इंकार किया और कहा न तो जान से मारने की धमती दी गयी और ना ही अपमानित किया गया। चूंकि पी०डब्लू० 2 रामवती पक्षद्रोही हो गयी। अस्तु न्यायालय द्वारा भी सत्यता परखने के उद्देश्य से प्रति-परीक्षा में प्रश्न पूछे गये। न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में वादिनी (Informant) की माँ रामवती ने

कहा कि "मुकदमा मेरी बेटी ने लिखाया था। उसका नाम निर्मला है। मैं पढी-लिखी नहीं हूँ। मैं आज गवाही देने थाना नारखी से आयी हूँ। मुकदमा वर्ष 1999 में लिखाया गया था। मुल्जिमान मेरे गाँव के ही हैं। मेरी बेटी पढी-लिखी है। मुल्जिमानों ने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया था। छेड़खानी किया था। मैं शिकायत करने गयी थी। मेरी बेटी ने सच्चा मुकदमा लिखाया था। अग्रेतर कहा कि हम लोगों ने आपस में राजीनामा कर लिया है। मुल्जिमान ने कहा है थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे। उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि वादिनी और उसकी माँ पी०डब्लू० 2 ने प्रति-परीक्षा में जो अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये हैं वह राजीनामा करने के आलोक में किये और आर्थिक लालच में भी किया। पीड़िता की माँ पी०डब्लू० 2 रामवती ने इस बात को स्वीकार किया कि उसकी पुत्री अर्थात् पी०डब्लू०-1 ने सच्चा मुकदमा लिखाया था और अभियुक्तगण गाँव के ही हैं। अभियुक्तगण उन्हें अच्छी तरह जानते-पहचानते हैं। वादिनी पढी-लिखी महिला है। पी०डब्लू० 2 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया था और छेड़खानी किया था। पी०डब्लू० 2 इस घटना की शिकायत करने गयी थी। पी०डब्लू० 2 रामवती इस आशय का असत्य कथन किया कि वह गिर गयी थी और गिरने से चोटें आ गयी थी। उसने अपने बयानों में दिनांक 08-08-99 को शौच के लिए जाने का कथन किया है और खड़जे से जाने का कथन किया है। घटना भी 08-08-99 की है। पीड़िता की माँ की उपस्थिति भी घटना स्थल पर है। घटनाक्रम को देखा गया है। घटना की शिकायत करने अभियुक्तगण के पास गयी जहाँ पर अभियुक्तगण द्वारा उससे मारपीट की गयी, उसे चोटें भी आई। पी०डब्लू० 2 का अस्पताल में चोटों का मेडिकल परीक्षण कराये जाने का कथन किया है। प्रश्न यह है कि उसे स्वयं चोटें आई तो किन परिस्थितियों में अस्पताल में मेडिकल कराना उचित समझा गया। पी०डब्लू० 2 के मेडिकल परीक्षण के सम्बन्ध में डा० दिलीप कुमार को पी०डब्लू० 3 के रूप परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 3 डा० दिलीप कुमार ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि "मैं दिनांक 09-08-1999 को बतौर चिकित्साधिकारी जिला अस्पताल फिरोजाबाद में तैनात था। उस दिन मैंने मजरुब रामवती पत्नी सियाराम का

चिकित्सीय परीक्षण किया था। समय 02.00 बजे दिन किया था। चुटैल को का० सी०पी० 389 मोहर पाल सिंह थाना नारखी लेकर आये थे। चुटैल का पहचान चिन्ह अंगूठा निशानी लेकर चिकित्सीय परीक्षण किया था। चुटैल के निम्नलिखित चोटें थीं-

चोट नं० 1- खरोंच (छिला) हुआ घाव 03cmX2.5cm चेहरे पर बाँयी तरफ था जो ठीक जबड़े के ऊपर था। चोट पर साफ्ट स्केब मौजूद थी। चोट नं० 2- नीलगू निशान 08cmX04cm बाँयी जाँघ के बाहरी बीच वाले पार्ट पर था। नाला-लाल कलर का था।

चिकित्सक की राय में दोनों चोटें साधारण थी। यह चोटें कुन्द आला एवं घर्षण से आना संभव थी। चोटें लगभग एक दिन पुरानी थी। मेडिकल रिपोर्ट की साक्षी ने शिनाख्त की है। इस मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि कोई भी चोट प्राइवेट पार्ट पर नहीं थी। चोटे लगभग 24 घण्टे पुरानी थी। मजरूबा मजरूबी चिट्ठी लेकर मेडिकल के लिये आयी थी। मजरूबा के चोटें जमीन पर गिरने से भी आ सकती है। या मजरूबा के ऊपर कोई भारी चीज गिरी हो उससे भी आ सकती हैं। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त चिट्टू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी डा० दिलीप कुमार से प्रति-परीक्षा की गयी। जिसमें उन्होंने कहा कि चोटों की उम्र के निर्धारण में दोनों तरफ 6 से 12 घण्टे का अन्दर होना संभव है। मेरी राय के अनुसार चुटैल की सभी चोटें साधारण थी। मैं नहीं कह सकता कि अगर किसी व्यक्ति में दर्द सहन करने की शक्ति हो तो यह चोटें बनवाई जा सकती हैं। प्रति-परीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि सभी चोटें 06 से 12 घण्टे के अन्तराल होना संभव था। सभी चोटें साधारण थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध यह भी आरोप है कि उनके द्वारा स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी है। स्थानीय पुलिस द्वारा चुटैल रामवती का मेडिकल परीक्षण कराये जाने के लिए कान्सटेबल के साथ जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया, जहाँ पर परीक्षण के दौरान चोटें उसके शरीर पर पाई गयी। वादिनी की माँ की चोटों की आघात आख्या प्रदर्श क-2 है जो निम्नलिखित है-

Examined Ramwati Age 30years D/O Siyaram R/O Sikhawatpur, H/O Jencilhri, PS Narkhi Firozabad dated 09-08-99 at 02.00PM at District hospital Firozabad.
 B/B CP 389 Moharpal Singh PS Narkhi Firozabad
 MI Black mole on the Rt side neck 04.00cm below and behind the Rt side angle of mandible.

Injury-

1. abrasion 3.0cmX9.5cm on the Lt side face and neck joint on the Lt side of mandible (angle). Scab present ofn the wound.

2. Contusion 8cmX4Cm on the Lateral aspect of Lt thigh middle third colour bluish red.

Opinion- Injury are simple caused by hard and blunt object duration about one day.

विवेचना अदित्य प्रकाश वर्मा पी०डब्लू० 4 द्वारा की गयी है। जिनके द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी वादी और उसकी माँ की निशानदेही पर तैयार किया गया है। नक्शा नजरी पत्रावली पर प्रदर्शक-5 है। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रदर्शक-4 प्रेषित किया गया है। पी०डब्लू० 4 ने अपने साक्ष्य में कहा कि वादिनी और उसकी माँ की निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया गया था। जहाँ पर घटना घटित होना बताया वह खेत लक्ष्मण सिंह का नक्शा नजरी में दर्शाया गया है। इसके पश्चिम में खेत चिन्दू पुत्र कृपाल सिंह का है। विवेचक पी०डब्लू० 4 ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि दिनांक 11-08-99 को पीड़िता से पुनः पूछताछ की गयी, जिसमें उसने पूर्व में विवेचक को दिये गये बयान का समर्थन किया है। पड़ोसियों के बयान लेने का प्रयास किया गया किन्तु भयवश किसी ने बयान नहीं दिया। पत्रावली पर नक्शा नजरी प्रदर्शक-3 है, जिसमें अक्षर X से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर पी०डब्लू० 1 निर्मला को अभियुक्तगण द्वारा बेइज्जत करने के आशय से खींचा गया। अक्षर A से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर रामवती के साथ मारपीट की गयी। घटना स्थल के आसपास खेत हैं और वादिनी तथा उसकी माँ के बयानों से भी स्पष्ट है

कि घटना वाले दिन वादिनी पी०डब्लू० 1 चारा लेने गयी थी, जहाँ पर अभियुक्तगण ने उसका हाथ खींचकर शील भंग किया, उसकी लज्जा भंग की तथा गलत काम करने का प्रयास किया। पीड़िता की माँ पी०डब्लू० 2 ने घटना की सच्ची रिपोर्ट लिखवाने का कथन अपनी प्रति-परीक्षा में किया है। पी०डब्लू० 2 को जो चोटें आई वह चोटिल द्वारा स्वाकारित की गयी चोटें नहीं थी अपितु अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिन्टू द्वारा कारित की गयी चोटें थी। मेडिकल परीक्षण भी विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कराया गया है। आर्थिक लालचवश वादिनी पी०डब्लू० 1 एवं उसकी माँ पी०डब्लू० 2 ने यत्र-तत्र घटना होने से इंकार किया, किन्तु न्यायालय द्वारा की गयी प्रति-परीक्षा में घटना कारित होना स्वीकार किया है। घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने में कोई संदेह नहीं है। अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिन्टू दोनों ने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में वादिनी द्वारा झूठा मुकदमा लिखाने का कथन किया और कहा कि गाँव की पार्टीबंदी के कारण यह मुकदमा लिखाया गया, किन्तु गाँव की पार्टीबंदी का कोई तत्त्विक साक्ष्य पत्रावली पर अभियुक्तगण की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया है। आर्थिक लालचवश घटना से मुकर जाना निसंदेह एक चिन्ता का विषय है। वादिनी पी०डब्लू० 1 और उसका परिवार नट जाति के सदस्य थे तथा प्रथम दृष्टया आर्थिक रूप से सम्पन्न प्रतीत नहीं होते हैं। अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर प्रति-परीक्षा के दौरान यत्र-तत्र पत्रद्रोही हो गये और घटना का समर्थन नहीं किया, किन्तु न्यायालय द्वारा की गयी प्रति-परीक्षा में घटना दिनांक 08-08-1999 को अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना पूर्णतः साबित है। पी०डब्लू० 2 रामवती को आई चोटों से घटना की पुष्टि होती है। यह सुस्थापित विधि है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन समग्रता से किया जाना आवश्यक है, जिससे सत्य की खोज की जा सके। धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत विवेचक द्वारा अंकित बयान और न्यायालय के समक्ष अंकित बयानों का अवलोकन एवं विश्लेषण से यह बात सिद्ध है कि अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिन्टू ठाकुर जाति के सदस्य हैं। जबकि पीड़िता और उसका परिवार अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 08-08-1999 को पीड़िता/वादिनी पी०डब्लू० 1 के साथ आपराधिक

बल का प्रयोग किया गया और आपराधिक बल का प्रयोग कर उसकी लज्जा भंग की गयी। वादिनी की माँ पी०डब्लू० 2 के साथ स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी हैं, जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण और वादी पक्ष भलिभाँति एक-दूसरे को जानते-पहचानते हैं। अभियुक्तगण जानते हैं कि वादिनी और उसकी माँ अनुसूचित जाति के सदस्य है और यह जानते हुए उसके साथ आरोपित अपराध कारित किया गया। अभियोजन द्वारा विश्वसनीय एवं आकट्य साक्ष्यों के आलोक में अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिंटू को विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 354, 323/34, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जा चुका है। अभियोजन साक्षियों पर संदेह नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को आलोक में न्यायालय का समाधान है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया हैं। यत्र-तत्र साक्षियों का विरोधाभासी कथन किये जाने से अभियोजन कथानक कि विश्वनीयता को प्रभावित नहीं करेगा। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिंटू लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 354, 323/34, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं चिंटू को आरोप अंतर्गत धारा 354, 323/34, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

साक्षी पी०डब्लू० 2 श्रीमती रामवती द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गयी है और पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः उसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य न्यायालय में दिये जाने के कारण धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विविध वाद दर्ज हो तथा उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 22.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।
 ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्तगण/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब हैं, उनके परिवार में अन्य को कमाने वाला सदस्य नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

(1) अभियुक्त अरविन्द सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 03 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

(2) अभियुक्त चिन्टू निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 03 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ

रूपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल/पीड़ित को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 22.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 22.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193